कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना धानेपुर पुलिस ने 01 वारंटी व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में चला समस्त थानों में विवेचना निस्तारण अभियान–</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त थानों द्वारा अभियान चलाकर जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का किया जा रहा है निस्तारण–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अभियान पेडिंग पड़ी विवेचना को जल्द से जल्छ निस्तारण करने के निर्देश जनपद के समस्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों को दिए थे साथ ही जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को भी जल्द से जल्द निस्तारित करने हेतु कहां गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 16.11.2023 को समस्त थानाओं में विवेचना निस्तारण अभियान चलाया गया। विवेचक कताओं द्वारा पुरानी पेडिंग पड़ी अधिक से अधिक विवेचनाओं का निस्तारण आज किया गया साथ ही जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को पीड़ित के घर पहुॅचकर उनसे वार्ता की गयी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे साइबर सेल गोण्डा द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपदीय साइबर सेल व थानों पर स्थापित साइबर हेल्प–डेस्क को साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक करने तथा साइबर फ्रॉड से पीड़ित अभियुक्तों के प्रार्थना पत्रों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर के मार्गदर्शन में साइबर फ्रॉड से पीड़ित रिंशु मिश्रा निवासी ग्राम जगदीश बल्दी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा जो द्वारा फ्रॉड कॉल पर पैसा ट्रांसफर कर दिए थे कि शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जाँच के पश्चात सम्बंधित बैंक/नोडल से समन्वय स्थापित कर आज दिनांक 16.11.2023 को रिंशु मिश्रा की साइबर फ्रॉड की गई धनराशि को आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक रिंशु मिश्रा को धनराशि 3300/– वापस मिल जाने पर पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा एवं साइबर सेल टीम जनपद गोण्डा का आभार व्यक्त किया गया ।

साइबर सेल टीम–

01. प्रभारी साइबर सेल शादाब आलम
02. का0 हरिओम टण्डन
03. का0 मनीष कुशवाहा
04. का0 राजेन्द्र कुमार

यू0पी0 एस0एस0एफ0 के जवानों का 30 वाहिनीं पी0ए0सी0 में चल रहा है प्रशिक्षण–

एस0एस0एफ0 के जवानों को आधुनिक हथियारों जैसे एक–47 एमपी–5 गन तथा ग्लाक पिस्टल आदि से दिया जा रहा है प्रशिक्षण–

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यू0पी0 एस0एस0एफ0 का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान जैसे लोकभवन, विधानभवन, एयरपोर्ट, न्यायालयों, मेट्रो, व बड़े व्यवसाइक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दृष्टिगत श्री एल वी एंटनी देव कुमार अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के निर्देशन में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 199 जवान को वर्तमान में 30वी वाहिनी पीएसी गोंडा में आधुनिक हथियारों जैसे एक–47 एमपी–5 गन तथा ग्लाक पिस्टल आदि हथियारों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है इस 03 माह के प्रशिक्षण के दौरान एटीएस, सुरक्षा शाखा, तथा एसडीआरएफ द्वारा 07–07 दिवस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात जवानों को कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, राम जन्म भूमि, कुशीनगर एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, लोकभवन तथा आर0आर0टी0एस0 (रैपिड रेल) की सुरक्षा में तैनाती कर दी जाएगी। यू0पी0 एस0एस0एफ0 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर ही काम करती है। केंद्रीय सुरक्षा बल की तरह ही एसएसएफ को भी विशेष शक्तियां दी गई हैं। गजट में प्रकाशित अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एसएसफ के सदस्य बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति तथा वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते है। बल के सदस्यों को विशेष अधिकार देने के लिए अलग से नियमावली बनायी गयी है। एसएसएफ के जवान किसी अपराधी के निकल भागने अथवा अपराध के साक्ष्य छिपाने की स्थिति में बिना वारंट उसकी तलाशी भी ले सकते है।

यू0पी0एस0एस0एफ0 का सुरक्षा एवं दायित्व–

यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालयों व परिसरों व तीर्थ स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक व अन्य वित्तीय, शैक्षिक और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करती है। वहीं, बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसके काम में रुकावट डाल रहा हो या जिसने कोई अपराध किया हो। वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होती है। निजी क्षेत्र के अधिष्ठानों को भी यह बल सुरक्षा मुहैया करा सकता है लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क अदा करना होगा